उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की दिनांक 23.9.98 को सम्पन्न हुई वर्ष 1998 की 171वीं बैठक की कार्यवृत्त

दिनांक 23.9.98 को बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1.	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री अतुल कुमार गुप्ता, सचिव, आवास	सदस्य
3.	श्री आर0के0मित्तल, आवास आयुक्त उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4.	श्री एच0सी0वी0श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता प्रतिनिधि, प्रबन्ध निदेश, जल निगम	सदस्य
5.	एम0पी0जनेजा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
6.	श्री आर0एन0अंयगार, निदेशक सी0बी0आर0आई0, रूड़की	सदस्य
7.	श्री मुकुल जोशी, उप निदेशक (प्रतिनिधि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो) उ0प्र0शासन	सदस्य
8.	श्री एस0के0वर्मा, मुख्य अभियन्ता उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

विशेष आमंत्री के रूप में:-

1.	श्री सुबोध शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2.	श्री आर0सी0उपाध्याय, वित्त नियंत्रक उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	श्री एस0सी0दीक्षित, विधि परामर्शदाता उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निम्नवत निर्णय लिये गये:-

क्रम संख्या	विषय	निर्णय
1	2	3
1.	परिषद की 170वीं बैठक दि018.6.98 की कार्य वृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।
2.	परिषद की 170वीं बैठक दि018.6.98की अनुपालन आख्या।	अवलोकन किया गया।

23.9.98

1	2	3	4
3.	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची	अवलोकन किया गया।	
4.	परिषद द्वारा कानपुर नगर में विकसित योजना सं0–1(सेक्टर–ए, बी एवं एच 120एकड़) तथा योजना सं0–3(सेक्टर–ए तथा ई–157एकड़) की जनसेवायें नगर निगम कानपुर को हस्तान्तरित करने के संबंध में।	अवलोकन किया गया।	
5.	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–19में स्टाफ क्वार्टर भवनो के अंतर्गत एफ–95प्रकार के चार मंजिले भवनो के निर्माण के संबंध में।	अवलोकन किया गया।	
6.	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में एफ–95 प्रकार के 48नग व एफ–127 प्रकार के 16 नग फलैट(4 मंजिले भवनो) के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।	
7.	हरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बलिया में समाविष्ट श्री दुर्गा प्रसाद सेठ आदि की भूमि खसरा संख्या–69 के विकास शुल्क के संबंध में।	परिषद द्वारा निर्मित जिन जन सेवाओं का उपयोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है, का आंकलन कर उसी के अनुरूप विकास शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया।	
8.	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, संख्या–8 सहारनपुर का धारा 31(1) का प्रस्ताव।	अनुमोदित किया गया।	
9.	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1 कानपुर में समाविष्ट ग्राम लखनपुर के खसरा संख्या–176मी0 में स्व0श्रीमती ऊषा पत्नी श्री शम्भुदयाल शुक्ला द्वारा धारा 28 की विज्ञप्ति के पश्चात अवैध रूप से क्रय की गयी 2.00विश्वा भूमि के संबंध में।	विकास शुल्क लेते हुये आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
10.	दिल्ली सहारनपुर रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लोनी, गाजियाबाद को परिषद अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत राजकीय गजट में प्रकाशन कराये जाने की स्वीकृति विषयक।	परिषद द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि भू उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय।	
11.	परिषद की अवधपुरी योजना, फैजाबाद में स्थित श्री भगवान प्रसाद की भूमि खसरा सं0 2230, 2231, 2232 के समायोजन के संबंध में।	विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इस तथ्य का परीक्षण कर लिया जाय कि परिषद के समक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें परिषद के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व वास्तुविद नियोजक तथा असिस्टेन्ट प्लानर, फैजाबाद(मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक के प्रतिनिधि) को सदस्य नामित किया गया। समिति की संस्तुति के आधार पर आवास आयुक्त को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया।	

1	2	3
12.	वेतनमान की अधिकतम सीमा रू03500/–तक प्राप्त करने वाले अराजपत्रित परिषद कर्मचारियो को वर्ष 96–97 व97–98 के अनुग्रह धनराशि के भुगतान के संबंध में ।	शासन को पुनः प्रबल संस्तुति के साथ भेजना सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया।
13.	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित प्रतिशत में डिप्लोमा होल्डर ए0एम0आई0ई0/बी0ई0 डिग्री प्राप्त अभियन्ताओ का प्रतिनिधित्व।	अनुमोदित किया गया।
14.	श्री अजीत कुमार सिनहा, कनिष्ठ लेखाधिकारी के स्वंय के हृदय रोग के उपचार तथा वाल्व परिवर्तन हेतु रू0 1.25 लाख की चिकित्सा अग्रिम के स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
15.	निष्प्रयोज्य वाहनो के विरूद्ध नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	अनुमोदित। यह भी निर्णय लिया गया कि शासनादेश दिनांक 19 मार्च97 के अनुरूप कार्यवाही की जाय।
6.	वास्तुकला नियोजन अनुभाग में कार्यरत वास्तुविद नियोजको को आवासीय दूरभाष की सुविधा दिये जाने के संबंध में।	परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित वास्तुविद नियोजको से इस आशय का प्रमाणपत्र लेकर की यह कार्ल सरकारी कार्य के लिये की गयी है, रू0 400/–तक की प्रतिपूर्ति कर दी जाय।
7.	परिषद योजनाओ में स्टाफ भवन के रूप में आरक्षित भवन को निजी भवन के रूप में आवंटन पर तत्काल शुल्क 10प्रतिशत न लिये जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
8.	वसुन्धरा योजना संख्या–3 गाजियाबाद में बरसाती पानी के निकासी हेतु सिंचाई विभाग से डिपाजिट कार्य के रूप में साइफन निर्माण कराने हेतु रू0232.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
9.	योजना संख्या–1कानपुर के सेक्टर–एच(भाग) व आई में विकास कार्यो के अन्तर्गत मिट्टी, सड़को एवं पार्क तथा आरबोरिकल्चर के कार्यो हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की परिषद के समक्ष जो टिप्पणियॉ प्रस्तुत की जाय उनका परीक्षण एक समिति द्वारा निश्चित पैरामीटर के आधार पर कर लिया जाय तथा एक प्रारूप पर अप्रेजल रिर्पोट प्रेषित की जाय। उक्त समिति में मुख्य अभियंता, जल निगम, मुख्य अभियन्ता, आवास विकास परिषद व वित्त नियंत्रक को नामित करने का निर्णय लिया गया।
0.	कानपुर योजना सं01 के सेक्टर जी व एच में प्रस्तावित 65नग 53/127 सेमीफिनिश्ड भवनो के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में ।	अनुमोदित किया गया।

1	2	3
21.	कानपुर योजना संख्या–जी एवं एच में प्रस्तावित 124नग 56/121सेमीफिनिश्ड भवनो के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में ।	अनुमोदित किया गया।
22.	जागृति विहार योजना संख्या–6 मेरठ के सेक्टर–4 में आंशिक स्वंय वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत 71/181 प्रकार के 124 नग सेमीफिनिश्ड एवं 11नग फिनिश्ड भवनो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
23.	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–4ए में प्रस्तावित 640नग एफ 45 प्रकार के4 मंजिले फैलेटस के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
24.	परिषद की योजनाओ में आवंटियो से लिये जा रहे जल शुल्क(सर्विस चार्जेज)की दरो को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।	अनुमोदित। विचारोपरान्त इसे जल शुल्क की जगह जल मूल्य का नाम दिये जाने तथा प्रत्येक 2वर्ष के अंतराल पर 15प्रतिशत वृद्धि किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
25.	विनियम 46(3) के अंतर्गत खून के रिश्तो में सम्पत्ति हस्तान्तरण पर देय 20प्रतिशत अन्तरण शुल्क के संबंध में।	अनुमोदित। यह भी निर्णय लिया गया कि खून के रिश्ते की परिभाषा को सीमित करते हुये यह सुविधा केवल पति पत्नी, पुत्र व पुत्री को ही अनुमन्य होगी।
26.	विनियम 22 के अर्न्तगत आरोपित अनिर्माण शुल्क की धनराशि में छूट दिये जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
27.	परिषद की योजनाओ में फ्रीहोल्ड के रूप में आवंटित सम्पत्तियो के हस्तान्तरण के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
28.	परिषद की योजनाओ में प्रदिष्ट भूखण्डो पर विनियम 22 एवं 18(2) के अंतर्गत निर्माण हेतु निर्धारित समय सीमा के उपरांत अतिरिक्त समय बढ़ाये जाने के संबंध में।	अनुमोदित। यह भी निर्णय लिया गया कि रिजम्सन के पीरियड के बाद सभी प्रकार की सम्पत्तियो पर आवंटित मूल्य का 10प्रतिशत अनिर्माण शुल्क के रूप में लिया जायेगा।
29.	विनियम 28(4) में नकद क्रय पद्यति पर सम्पत्ति का किश्त क्रय पद्यति में भुगतान विकल्प परिवर्तन कराये जाने के संबंध में।	इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। किन्तु जिन प्रकरणो में इस आधार पर कार्यवाही हो गई है उन्हें अनुमोदित किया गया। भविष्य में उन्हें दृष्टांत न माना जाय।

1	2	3
0.	परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा स्थित सेक्टर–12 में स्कूल भूखण्ड श्री विजय स्वरूप महाराज समिति आगरा क्षेत्रफल 2938.00वर्गमी0 आवंटन के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
31.	परिषद की सुहागनगर योजना फिरोजाबाद स्थित एक स्कूल भूखण्ड प्रो0राजेन्द्र सिंह मेमोरियल सोसाइटी क्षेत्रफल 2236.00 वर्गमी0 आवंटन के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
2.	परिषद की योजना संख्या–1 कानपुर स्थित प्राइमरी स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 960.35वर्गमी0 अग्निहोत्र शिक्षा निकेतन कानपुर को आवंटित करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
3.	इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम वसुन्धरा योजना फेज–1 गाजियाबाद स्कीम नं0 15075 में हडको द्वारा स्वीकृत ऋण के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
4.	योजना संख्या–1 हल्दवानी की सेवाओं का नगरपालिका परिषद हल्दवानी को हस्तान्तरण।	अवलोकन किया गया।
35	वित्तीय वर्ष 98–99 में माह अगस्त 98 तक परिषद की भौतिक एवं वित्तीय स्वीकृत उपलब्धियो का विवरण।	अवलोकन किया गया। आगामी बैठकों में प्रगति आख्या सम्बन्धी विवरण एक पृष्ठ का तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।
6.	देहरादून रोड योजना सं0–1 रूड़की के विस्तार के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि प्रकरण को आपसी बातचीत से हल करने का प्रयास किया जाय तथा परिषद की अगली बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाय।
7.	राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं02 देहरादून के अधिग्रहण के संबंध में।	यह निर्णय लिया गया कि परिषद को योजना छोड़ने में कोई आपत्ति नही है किन्तु इसके पूर्व यह देख लिया जाय कि इससे परिषद के ऊपर देनदारियो का भार तो नही पड़ेगा।
8.	बुलंदशहर बाई पास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद की परिषद अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत राजकीय गजट में प्रकाशन कराये जाने की स्वीकृति।	भूउपयोग के परिवर्तन के सम्बन्ध में मद सं0 10 के अनुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त इस बात का परीक्षण कर लिया जाय कि उक्त भूमि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तो नही है।
9.	पोप्स विला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–2 नैनीताल के क्रियान्वयन के संबंध में।	परिषद द्वारा शासन को अनापत्ति भेजने का निर्णय लिया गया।

1	2	3
40.	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की तेलीबाग योजना सं0-2 में सरदार पटेल शिक्षण समिति द्वारा क्रय की गयी भूमि के समायोजन के संबंध में।	अनुमोदित ।यह भी निर्णय लिया गया कि भू उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी देख लिया जाय कि संस्था मान्यता प्राप्त है अथवा नही।
41.	चन्द्रशेखर आजाद नगर(मेहदोरी) योजना, इलाहाबाद में समाविष्ट राजकीय आस्थान की भूमि के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
42.	परिषद की पाण्डेपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी को संचालित किये जाने के संबंध में।	अनुमोदित। साथ ही समझोते के विन्दु 4 के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन काश्तकारो ने मुआवजा ले लिया है उनका दिनांक 5.12.87 एवं इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा पारित आदेश के बीच की अवधि का ब्याज 12प्रतिशत की दर से गणना कर प्रतिकर की धनराशि का आंकलन कर लिया जाय तथा रू025000/-प्रति विश्वा में उक्त धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि की गणना की जाय।
43.	इंदिरानगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत समाविष्ट ग्राम बस्तोली के खसरा सं093/19 श्री लीलानन्द जोशी की भूमि के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि श्री जोशी को विस्थापित के रूप में 25प्रतिशत भूमि वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने का आफर पुनः दे दिया जाय।
44.	परिषद की इंदिरानगर योजना लखनऊ के खसरा सं0506 ग्राम गाजीपुर सैदुलनिशां के अन्तर्गत आत्माराम जैन की 3200वर्गफुट भूमि को अर्जनमुक्त करने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव इस शर्त पर मान्य नही है। उपयुक्त आफर प्राप्त होने पर पुनः विचार किया जा सकता है।
45.	कुर्सीरोड(विकासनगर) योजना लखनऊ में समाविष्ट महानगर नार्थ हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी की भूमि खसरा सं0 159,160,154/1,155 स्थित ग्राम शेखापुर लखनऊ के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
46.	इंदिरानगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम इस्माइलगंज के खसरा सं0 101 व 102 की भूमि के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक श्री अनेजा, श्री नरेन्द्र कुमार संयुक्त आवास आयुक्त व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की एक समिति गठित कर दी जाय तथा इस समिति द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
47.	महोली योजना सं01 मथुरा में समाविष्ट अर्जित भूमि में से 7.77 एकड़ भूमि को परिषद अधिनियम 1965 एवं उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन शासन स्तर से अर्जनमुक्त किये जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि 1.41एकड़ भूमि जिसके भूखण्डो आदि का आवंटन किया जा चुका है, को अर्जन से मुक्त किये जाने विषयक शासन के निर्णय पर पुनः विचार करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाय।

1	2	3	4
48.	परिषद द्वारा कानपुर नगर में संचालित योजनाओ के निर्माण एवं विकास कार्यो में व्याप्त अवरताओ के संबंध में श्री एस0एफ0एस0अली तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध गठित विभागीय जॉच के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।	
49.	परिषद में कार्यरत सहायक श्रेणी–तृतीय पद को 10 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा पूर्ण करने के पश्चात सहायक श्रेणी–द्वितीय पद का पूर्व वेतनमान 1025–1720 के स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान 1200–2040 दिनांक 1.1.86 से दिये जाने विषयक।	अनुमोदित किया गया।	
50.	सहायक अभियन्ता के रिक्त 28 पदो को पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से भरे जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।	
51.	अनियमित कार्य प्रभारित कर्मचारियो/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियो एवं मस्टर रोल पर कार्यरत श्रमिको के परिषद सेवाकाल में मरणोपरान्त उनके आश्रितो को सेवायोजित करने विषयक।	अस्वीकृत किया गया।	
52.	परिषद की नेहरूनगर योजना देहरादून स्थित मध्यम आय वर्ग भवन सं0 जी–16 के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।	
53.	परिषद की लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़ स्थित प्राइमरी स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 1353वर्गमी0 लोहिया शिक्षा समिति फर्रूखाबाद को आवंटित करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।	
54.	परिषद की सिकन्द्रा योजना के सेक्टर–10आगरा में डा0वीरेन्द्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट के पक्ष में स्कूल भूखण्ड दिये जाने के संबंध में।	अनुमोदित। यह भी निर्णय लिया गया कि मूल ले आऊट प्लान में प्राविधानित भूमि के अतिरिक्त भूमि के मूल्यांकन के पहलू पर भी विचार कर लिया जाय।	
55.	सुहागनगर योजना फिरोजाबाद में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवनो के दण्ड ब्याज को माफ करने एवं भवनो में अध्यासित व्यक्तियो को नियमित आवंटन के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।	
56.	परिषद की संजयबिहार योजना सं02, हापुड़ में कम्युनिटी सेन्टर हेतु आरक्षित भूमि के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।	
57.	परिषद की जिगर बिहार योजना मुरादाबाद स्थित भवनसं0ए–33 एवं 37 के आवंटन के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।	

1	2	3
58.	बेतियाहाता दक्षिणी योजना, गोरखपुर में भूखण्ड सं093 एवं 94 के विरूद्ध देय धनराशि के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रकरण का पुन: परीक्षण करने तथा ब्याज माफी के प्रस्ताव की दशा में परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी यदि आज के मूल्य पर भूखण्ड लेने को तैयार हो तो उस स्थिति में आवास आयुक्त को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया।
59.	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की योजनाओ में तत्काल आवंटन प्रक्रिया के संबंध में।	वैध पंजीकृत व्यक्तियो को प्राथमिकता देने के प्रतिबन्ध के साथ प्रस्ताव अनुमोदित।
60.	परिषद की हंसपुरम योजना सं02 कानपुर में मध्यम आय वर्ग भवन सं0ए-1754 के विरूद्ध देय दण्ड ब्याज को माफ करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
61.	मै0आरोही कन्स्ट्रक्शन के पक्ष में इंदिरानगर योजना लखनऊ में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 6सीपी/101, 102,104,106 के आवंटन निरस्तीकरण के फलस्वरूप की गयी कटौती को माफ करते हुये किश्तो के विरूद्ध जमा धनराशि को उन्हें आवंटित अन्य भूखण्ड सं0 16सीपी/107, 109/1 में समायोजन के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
62.	शिक्षण संस्थाओ को स्कूल भूखण्ड आवंटन के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
63.	परिषद में कम्प्यूटर के विस्तार के संबंध में।	आवास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यसीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति के दो अन्य सदस्य परामर्शदाता (श्री ए0के0पचौरी) व आई0आई0एम0के प्रो0 श्री सुशील शर्मा होंगे। समिति के संस्तुति के आधार पर आवास आयुक्त को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया।
64.	योजना सं0-1 कानपुर के सेक्टर एच (भाग) व आई में विकास कार्यो के अन्तर्गत बाहय विद्युतीकरण के कार्यो हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
65.	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर 10 में 33/11 केवी सब स्टेशन के निर्माण हेतु वांछित धनराशि स्टाफ क्वार्टर एवं भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
66.	इंदिरानगर योजना लखनऊ के सेक्टर-25 में स्वर्णजयन्ती स्मृति बिहार (फिटनेस एण्डएक्वा स्पोर्टस पार्क) के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।

1	2	3
67.	भाऊराव देवरस योजना के अंतर्गत कानपुर, फतेहगढ़ तथा मैनपुरी में प्रस्तावित लघु मध्यम आय वर्ग भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
	अध्यक्ष{म0} की अनुमति से अन्य विषय	
68.	सिकन्दरा योजना आगरा में समाविष्ट ग्राम ककरेठा की भूमि के संबंध में एल0ए0वाद सं0592 एवं 692 में मा0न्यायालय के आदेश दि018.3.98 के क्रम में निगोसियेशन सेटलमेंट के भुगतान के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि तीन सदस्यसीय समिति गठित कर दी जाय जिसमें मुख्य अभियन्ता, विधि परामर्शदाता तथा संयुक्त आवास आयुक्त{श्री नरेन्द्र कुमार} रहेंगे। उक्त समिति प्रकरण का परीक्षण कर अपनी संस्तुति एक माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगी।
69.	केन्द्रीय पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में परिषद द्वारा अनुमोदित/संस्तुति प्रस्तावों के आधार पर उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियो/कर्मचारियो के वेतनमानो को दि01.1.96 से पुनरीक्षित किये जाने किन्तु 1.1.96 से 31.12.97 तक का बकाया न दिये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव संस्तुति के साथ शासन की अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने हेतु भेजने का निर्णय लिया गया। बकाया न लिये जाने की बात स्पष्ट कर दी जाय।
70.	परिषद योजनाओ में प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्रो के भूखण्डो का नीलामी द्वारा निस्तारण एवं कार्यशील महिलाओ के लिये छात्रावास के निर्माण के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
71.	भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति सेक्टर-9 इंदिरानगर लखनऊ को अतिरिक्त भूमि के आवंटन के संबंध में।	अनुमोदित। भूमि का मूल्य नियमानुसार लिया जाय।
72.	जागृति बिहार योजना, संख्या-6, मेरठ में अदेयता की दशा में दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के 46 भवनो के आवंटियो को कब्जा दिये जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।

पुष्टि की गयी

महेशचन्द्र शर्मा
6.3.99
अध्यक्ष